

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मैसूर

विरुद्ध

मैसर्स टी.वी.एस. मोटर्स कम्पनी लिमिटेड

(2007 की दीवानी अपील सं. 5155-5156)

दिसम्बर 15, 2015

(ए.के. सीकरी और आर.एफ.नरीमन न्यायिक न्यायाधिपति)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 धारा 4 वित्त अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित के तहत मूल्यांकन-मूल्यांकन योग्य मूल्य- क्या इसमें वितरण पूर्व निरीक्षण शुल्क (पीडीआई) और ब्रिकी के बाद सेवा शुल्क (एसएस) शामिल होंगे अभिनिर्धारित ऐसी सेवाओं के लिए किए गये खर्च पूरी तरह विक्रेता द्वारा वहन किये जाते हैं और ऐसी सेवाएं निर्माता की ओर से प्रदान नहीं की जाती है। वह राशि जो निर्धारित निर्माता द्वारा अपने डीलरों को निशुल्क सेवाओं से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति की गई थी। सामान्य लेनदेन मूल्य के संबंध में कमी का दावा किया गया - इसलिए, पीडीआई शुल्क और निशुल्क एसएस शुल्क उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के उद्देश्य से धारा 4 के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं होंगे। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन उत्पाद शुल्क योग्य बस्तुओं की कीमत का निर्धारण नियम 2000।

मारुती सुजुकी इण्डिया लिमिटेड विरुद्ध सीसीई, नई दिल्ली

2010 (257) ईएलटी, 226 खारिज कर दिया गया।

टाटा मोटर्स लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ 2012 (286) ईएलटी 161 मुम्बई
अनुमोदित।

भारतसंघ विरुद्ध इंगरसोल रैन्ड इंडिया लिमिटेड 2000 (120) ईएलटी 290
(एससी); मारुती उद्योग लिमिटेड बनाम सीसीई दिल्ली-3 2004 (170)
ईएलटी 245 (टीआरआई-डी.ई.एल) फोर्ड मोटर इण्डिया लिमिटेड बनाम
राज्य के सचिव एआईआर 1938 पीसी 15 1978 (2) ईएलटी (जे265)
(पीसी) ए.के रॉय बनाम वोल्टास लिमिटेड 1973 (2) एससीआर 1089:
(1973) 3 एससीसी 503; मैसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड विरुद्ध सीसीई,
पुणे 1997 (91) ईएलटी 540; आयुक्त विरुद्ध टेलको लिमिटेड 2001 (130)
ईएलटी ए 260 (एससी); भारत संघ विरुद्ध बोम्बे टायर इन्टरनेशनल 1984
(1) एससीआर 347: (1984) 1 एससीसी 467; भारत सरकार और अन्य
विरुद्ध एमआरएफ लिमिटेड और अन्य 1995 (3) एससीआर 1143:(1995)
4 एससीसी 349; महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ
सेन्ट्रल एक्सार्ज 1988 (103) ईएलटी 606 मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स
लिमिटेड 1998 (101) ईएलटी 198 (टी) मैसर्स एस्कार्ट ट्रेक्टर्स लिमिटेड
1999 (078) ईसीआर 342 (टी)-संदर्भित।

प्रकरण विधि संदर्भ

2004 (170) ईएलटी 245 (टी-डेल)	संदर्भ के लिए	पैरा 2
2010 257 ईएलटी 226	खारिज किया गया	पैरा 3
एआईआर 1938 पीसी 15		
1978 (2) ईएलटी (जे265) (पीसी)	संदर्भ के लिए	पैरा 5
1973 (2) एससीआर 1089	संदर्भ के लिए	पैरा 5
1997 (91) ईएलटी 540	संदर्भ के लिए	पैरा 6
2001 (130) ईएलटी ए 260 (एस.सी.)	संदर्भ हेतू	पैरा 7
1984 (1) एससीआर 347	संदर्भ हेतू	पैरा 9
1995 (3) एससीआर 1143	संदर्भ हेतू	पैरा 9
1998 (103) ईएलटी 606	संदर्भ हेतू	पैरा 9
1999 (111) ईएलटी ए 126	संदर्भ हेतू	पैरा 9
1998 (101) ईएलटी 198 (टी)	संदर्भ हेतू	पैरा 13
1999 (078) ईसीआर 347 (टी)	संदर्भ हेतू	पैरा 13
2000 (120) ईएलटी 290 (एससी)	संदर्भ हेतू	पैरा 13
2012 (286) ईएलटी 161 (बोम्बे)	संदर्भ हेतू	पैरा 15

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं. 5155-56/2007।

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, बेंगलोर के 2006 की अपील सं. ई/63 और 65 में अंतिम आदेश सं. 1860 और 1861 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 3.11.2006 के से।

साथ में

2009 के सी.ए. संख्या 1763 -1764, 2011 का 7007, 7550 और 3768-3769।

2013 का 2204 और 2205, 2014 का 957-959 और 7854-7865।

के राधाकृष्णन, सुब्रामण्यम प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्तागण, श्रीमति निशा बागची, श्रीमति सुनिता राव, टी.सी शर्मा, श्रीमति पूजा शर्मा, बी. कृष्णा प्रसाद, वी लक्ष्मी कुमारन, एम.पी. देवनाथ, श्रीमति एल.चरनैया, हेमन्त बजाज, आनन्द के आदित्य भटाचार्य, टी.डी सतीश, श्रीकांत एन टरडेल, विनित सिन्हा, जय किशोर सिंह, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अरविन्द कुमार शर्मा, श्रीमति नन्दिनी गोरे, अभिषेक रॉय, श्रीमति खुशबु बारी, श्रीमति त्रिशला कुलकर्णी, श्रीमति नेहा खण्डेलवाल, श्रीमति माणिक करंजावाला, श्रीमति देविना सहगल, मैसर्स करंजावाला और कम्पनी - उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण के लिए।

न्यायालय में निर्णय ए.के सीकरी जे. द्वारा पारित किया।

इन सभी अपीलों में विचार करने के लिए उत्पन्न कानून का प्रश्न समान है जो निम्नलिखित है:

क्या वितरण पूर्व निरीक्षण शुल्क (संक्षेप में 'पीडीआई') और बिक्री के बाद सेवा शुल्क (संक्षेप में एएसएस) को निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल किया जाना है।

2. हालांकि सुविधा के लिए हम दीवानी अपील सं. 5155-5156/2007 के अभिलेखों से तथ्यों पर ध्यान देते हैं जिसमें मैसर्स टीवीएस मोटर्स कम्पनी (इसके पश्चात इसे करदाता संबोधित किया गया) प्रतिवादी है। करदाता के पास केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अध्याय उपशीर्षक 8711.20 और 8711.10 के तहत वर्गीकृत दोपहिया मोटर वाहनों के निर्माण और समाशोधन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में पंजीकरण रखता है करदाता पूरे देश में फैले ब्रिकी डिपो के माध्यम से ग्राहकों को अपना माल सीधे बेचता है। करदाता ने डिपों बिक्री के सम्बन्ध में अन्तिम मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया था क्योंकि वे डिपो निकासी के संबंध में फैक्ट्री गेट पर निकासी के समय सामान्य लेनदेन मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते थे। अंतिम कर निर्धारण 1.07.2001 से 31.03.2002 और 1.04.2002 से 31.03.2003 की अवधि का मूल आदेश संख्या 2004 के लिए 47 दिनांक 19.07.2004 और 44/2005 दिनांक 4.05.2005 द्वारा अंतिम रूप से किया गया उपरोक्त मूल आदेश में

मूल्यांकन योग्य मूल्य में पी डी आई शुल्क और मुफ्त एएसएस शुल्क शामिल था। निर्णायक प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने का कारण परिपत्र सं. 643/34/2002 दिनांक 01.07.2002 था। जिसमें इसे मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल करने के लिए स्पष्ट किया गया था।

करदाता ने उपरोक्त उद्धृत आदेश के खिलाफ आयुक्त अपील मेंगलोर के समक्ष अपील दायर की जिन्होंने अपील संख्या 227/2005 सीई में दिनांक 24.10.2005 मारुती उद्योग लिमिटेड बनाम सीसीई दिल्ली-111 के मामले में कस्टम उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के फैसले पर भरोसा करते हुए आंकलन योग्य मूल्य में मुफ्त एएसएस शुल्क को शामिल करने की अनुमति नहीं दी और मामले को निर्णायक प्राधिकारी को कानूनी स्थिति के प्रकाश में विवादित मुद्दों की फिर से जांच करने और तदानुसार अन्तिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के लिए वापस लौटा दिया।

उपरोक्त अपील के आदेश से व्यतीत होकर विभाग ने सीईएसटीएटी बेंगलुरु के समक्ष एक अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने अंतिम आदेश संख्या 1860 और 1861/2006 दिनांक 03.11.2006 में मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले पर भरोसा करते हुए पी डी आई शुल्क और एएसएस शुल्क के सम्बन्ध में छूट को सही मानकर मामले को पुर्नगणना के लिए मूल प्राधिकारी को भेजते हुए विभाग की

अपील खारिज की और अपील के आदेश में आयुक्त अपील को यथावत रखा। हम ध्यान दे सकते हैं कि मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले पर विभाग द्वारा 2006 के सी.ए. नम्बर डी 76 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया गया था जिसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया था। उपरोक्त परिस्थितियों में विभाग द्वारा तत्काल अपील द्वारा कर न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई।

3. इस स्तर पर हम बता सकते हैं कि न्यायाधिकरण की कुछ अन्य पीठों ने विपरीत दृष्टिकोण अपनाया था और मामले को वृहद पीठ को भेज दिया था जिसमें मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम सीसीई, नई दिल्ली (2010 (257) ईएलटी 226) के मामले में इस विवाद का फैसला किया था। यह माना गया कि लेनदेन मूल्य की परिभाषा में मुफ्त पीडीआई के साथ साथ एएसएस शुल्क भी शामिल किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार इस पृष्ठभूमि में करदाताओं द्वारा तीन अपीले दायर की गई हैं उपरोक्त दृष्टिकोण रखते हुए पीठ द्वारा पारित आदेश की वैधता पर प्रश्न उठाया जा रहा है।

4. कुछ आवश्यक विशेषताएं जिन्हें इंगित करने की आवश्यकता है। इन अपीलों में उठाएगा मुददे के संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उत्पादन शुल्क लेनदेन के मूल्य पर देय है। वर्ष 2000 में धारा 4 में संशोधन किया गया ये सभी मामले 2000 वर्ष की बाद की अवधि से

सम्बन्धित है इसलिए धारा 4 का संशोधित प्रावधान यह है कि जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान लेनदेन मूल्य पर किया जाना है लेनदेन मूल्य की परिभाषा अधिनियम की धारा 4 (3 डी) में दी गई है हालांकि इस विवाद का व्यापक रूप से उत्तर देने के लिए वर्ष 2000 के वित्तीय अधिनियम द्वारा धारा 4 में संशोधन से पहले प्रचलित असंशोधित प्रावधान को समझना आवश्यक होगा और फिर यह निर्धारित करना होगा कि क्या संशोधित प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधान में बदलाव हुआ है।

5. दोनों पक्षों के अधिवक्ता इस बात पर सहमत थे कि डीलरों द्वारा पी डी आई और एएसएस और उस पर उनके द्वारा किए गए व्यय को उत्पाद शुल्क के प्रयोजनार्थ शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जिसे करदाता द्वारा डीलरों से वसूला नहीं गया था यह स्थिति की इन गतिविधियों को करने के लिए निर्माता और डीलर के मध्य का तर्क इस स्थिति को प्रभावित नहीं करता है सबसे पहले ये भारत संहिता दुनियाभर के ऑटोमोबाइल उद्योगों में वैध सामान्य गतिविधियां हो सामान्य व्यवसायिक व्यवहार में डीलर द्वारा व्यय की इन मदों को वहन करना कोई असामान्य या पूर्व बन्धन जैसी विलक्षण स्थिति नहीं है समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कारों का भारत में मूल्यांकन के संदर्भ में फोर्ड मोटर इण्डिया बनाम राज्य सचिव (एआईआर 1938 पीसी 15= 1978 (2) ईएलटी

(जे265) (पीसी) के मामले में प्रिवि काउंसिल द्वारा वर्ष 1938 में ही निपटारा कर दिया गया था। इसे इस न्यायालय द्वारा इसी संदर्भ में लागू किया गया है और इसका पालन किया गया है हालांकि यह ए.के.राय बनाम वोल्टास लिमिटेड ((1973) 3 एससीसी 503) का 01.07.2000 से पहले का मामला है। उस मामले में मुद्दा यह था कि उत्पाद शुल्क खुदरा बिक्री मूल पर देय था या थोक नकद मूल्य पर। उक्त मामले में प्रतिवादी कम्पनी एयरकंडीशनर, वाटर कूलर और उसके घटकों के निर्माण का व्यवसाय करती थी। इसने इन वस्तुओं की बिक्री बम्बई स्थित अपने मुख्य कार्यालय के साथ साथ कलकता, दिल्ली, मद्रास, बेंगलुरु, कोचीन और लखनऊ स्थित अपने शाखा कार्यालय से भी संयोजित की। इससे कार्यालय से सूची मूल्य पर सीधे ग्राहको को बिक्री की गई। जिससे उत्पादन की बिक्री पर 90 से 95 प्रतिशत तक का प्रभाव पडा। इस बिक्री के अलावा इसने देश के विभिन्न हिस्सो के थोक डीलरों के साथ किए गए समझौतो के अनुसरण में उन्हें वस्तुएं बेची। समझौतो में प्रावधान है कि डीलर सूची मूल्य पर ही वस्तुएं बेचेंगे, प्रतिवादी उन्हें सूची मूल्य पर 22 प्रतिशत छूट पर वस्तुएं बेचेगा, डीलर सहायक उपकरणों की कीमतों पर किसी भी छूट का हकदार नहीं होगा और डीलरों को अपने क्षेत्र में बेची जाने वाली इन इकाईयों को सेवाएं देनी होंगी। प्रतिवादी का मामला यह था कि सूची मूल्य थोक डीलरों को दी गई 22 प्रतिशत की छूट में कटौती करने के बाद यथा मूल्य निर्धारित करने के लिए थोक नकद मूल्य का गठन करेगा। इस मामले को

1962 के अन्त तक उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद विभाग ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि उत्पाद शुल्क का आंकलन थोक नकद मूल्य के आधार पर नहीं बल्कि खुदरा मूल्य के आधार पर करके शुल्क लगाया जाएगा। मूल आदेश इस आशय का पारित करते हुए प्रतिवादी करदाता की अपील खारिज कर दी गई थी। अपील के आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी जो स्वीकार की गई और उच्च न्यायालय के फैसले को इस न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया यद्यपि कुछ चर्चाएँ जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थी जिसे न्यायालय में पैरा 12 में अंकित किया गया था जिसमें न्यायालय ने प्रिवी काउंसिल के पहले के फैसले पर गौर किया और उस पर चर्चा की इसलिए हम इस पैरा को उसकी सम्पूर्णता में पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे।

"12. फोर्ड मोटर कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम सेक्रेटरी को स्टेट फॉर इण्डिया इन काउन्सिल में प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपीलकर्ता जिन्होंने कनाडा से फोर्ड मोटर वाहनों का आयात किया था जहाँ उनके पास उन वाहनों की आपूर्ति का एकाधिकार या उन्हें केवल अधिकृत डीलरों या वितरकों को बेचा जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट जिले में वाहनों के खुदरा विक्रेता के रूप में एक मात्र अभिकर्ता थे

अपीलकर्ताओं ने विक्रेताओं से जानकारी प्राप्त करके उनकी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कनाडा में निर्माताओं के साथ समेकित आर्डर दिए वितरकों द्वारा जनता से वसूला जाने वाला खुदरा मूल्य अपीलकर्ता द्वारा जारी मूल्य सूची में प्रकट किया गया था और भारत में वाहनों के आगमन के समय तक चालू था वितरकों द्वारा अपीलकर्ता को देय कीमत 20 प्रतिशत की छूट घटाकर देय होती थी वितरक को डिलीवरी प्राप्त करने से पहले वह कीमत चुकानी पड़ती थी जो फ्री ऑन रेल (गंतव्य स्टेशन मूल्य) होती थी भारत में वाहनों के आगमन पर वाहनों को पूरी तरह से असेंबल नहीं किया गया था और वितरकों को वितरित किया गया था। अपीलकर्ताओं द्वारा की जा रही कीमत के विरुद्ध एक सहमति अनुसार भत्ता दिया जाता था चाहे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1871 की धारा 30 ए या 30 बी सीमा शुल्क लगाने के लिए माल के वास्तविक मूल्य का पता लगाने के उद्देश्य से लागू की गई हो प्रिवी काउंसिल ने माना कि अपीलकर्ता द्वारा वितरकों से संयोजन भत्ते को छोड़कर वसूला गया मूल्य थोक नकद मूल्य था व्यापार छूट को घटाकर जो वाहन आयात के समय और स्थान पर बेचे गये थे अधिनियम की धारा 30 ए में निहित शर्तें जो कमोवेश

अधिनियम की धारा 4 ए के समान है यह मामला इस प्रस्ताव के लिए एक अधिकार है कि प्रतिवादी और थोक डीलरों के बीच समझौते का अस्तित्व रहते जिसके तहत वस्तुओं की सेवा जैसे दायित्व जो उनके द्वारा उठाए गए थे को नकद थोक नकद मूल्य से कम प्रदान नहीं करेगा। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो विचाराधीन वस्तुएं समझौते के आधार पर थोक डीलरों को बेची गई हो स्वतंत्र व्यक्तियों को नहीं इससे बिक्री की कीमत थोक नकद मूल्य के अलावा कुछ भी नहीं होगी यह तर्क प्रिवी काउंसिल ने यह तर्क दिया था कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878 की धारा 30 के खण्ड ए के तहत थोक नकद मूल्य निर्धारित करने के लिए जो प्रासंगिक था वह यह कि समान प्रकार और गुणवत्ता की वस्तुओं की कीमत नकारात्मक थी उनके कथनानुसार खण्ड ए के तहत उन्हें अपने ही वर्ग का सदस्य माना जायेगा यद्यपि आयात के समय और स्थान पर कोई अन्य सदस्य न हो और उनके द्वारा प्राप्त मूल्य आयात के समय और स्थान पर समान प्रकार और गुणवत्ता वाली वस्तुओं के प्राप्त मूल्य का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है।"

6. एक अन्य निर्णय जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो सकता है वह मैसर्स फिलीप्स इंडिया लिमिटेड बनाम सीसीई, पुणे का मामला है जहां समझौते गारंटी के तहत डीलरों द्वारा फिलीप्स के उत्पादों के लिए विज्ञापन खर्च और गारन्टी अवधि के दौरान मुफ्त एएसएस प्रदान किया गया था अपीलकर्ता और उनके डीलरों के मध्य यह समझौता एक वास्तविक सीमा तक किया गया समझौता है। करदाता/निर्माता विज्ञापन खर्च का आधा हिस्सा साझा करने के लिए सहमत थे क्योंकि विज्ञापन से निर्माता और डीलर दोनों को लाभ होता था करदाता/अपीलकर्ता ने उपरोक्त व्यय की कटौती का दावा किया था जिसे न्यायिक प्राधिकारों ने अस्वीकार कर दिया था। आयुक्त और न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में निर्णय को यथावत रखा गया था हालांकि इस न्यायालय ने निचले प्राधिकारियों के इस दृष्टिकोण को पलट दिया कि करदाता उन पक्षों के मध्य समझौते के प्रासंगिक खंडों पर ध्यान देने के बाद उपरोक्त खाते पर डीलरों से प्राप्त कीमत से कटौती का दावा करने का हकदार होगा जहां यह पाया गया हो कि समझौता पक्षकारों के मध्य वास्तविक सीमा तक किया गया हो और सिद्धान्त दर सिद्धान्त के तहत वास्तव में भुगतान किये गये थे। इस निर्णय के पैरा 5 और 6 को निचे पुन प्रस्तुत किया गया है।

"5 हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस विज्ञापन को डीलर अपनी लागत में करता था उसे अपीलकर्ता और डीलर

को समान रूप से लाभ होता था इस कारण ऐसे विज्ञापन की लागत अपीलकर्ता और डीलर द्वारा आधा आधा वहन की जाती थी इसलिए इस खाते पर व्यापार छूट से कटौती करना आवश्यक थी।”

6. जहां तक बिक्री के बाद की सेवा का सवाल है जो डीलर को समझौते के तहत प्रदान करने की आवश्यकता है वह निश्चित रूप से इच्छुक खरीददारों नजर में अपीलकर्ता के उत्पाद के मूल्य में वृद्धि करता है लेकिन मूल्य में ऐसी वृद्धि न केवल अपीलकर्ता के लाभ के लिए सुनिश्चित की जाती है इससे डीलर के लाभ को भी सुनिश्चित किया जाता है इस कारण डीलर को अधिक बेचने और बड़ा लाभ कमाने का अवसर मिले । अपीलकर्ता के उत्पादों से जुड़ी गारंटी में निर्दिष्ट किया गया था कि गारंटी अवधि के दौरान अपीलकर्ता के डीलरों को देश में कहीं भी उनकी आवश्यकता हो सकती है हालांकि इस प्रकार एक डीलर को दूसरे डीलर द्वारा बेचे गये सामान की मरम्मत करनी पड सकती है उक्त संबंध में लागत वहन करनी पडती है लेकिन उसे यह लाभ भी होता है कि उसके द्वारा बेचा गया सामान पूरे देश में मरम्मत योग्य होता है इसलिए बिक्री के बाद सेवा के

प्रावधान से न केवल अपीलकर्ता को लाभ हुआ यह अपीलकर्ता और डीलर के पारस्परिक लाभ का प्रावधान था।”

7. इसी तरह कमीशनर बनाम टेलको लिमिटेड 2001 (130) ईएलटी ए260 (एस.सी) के मामले में संक्षिप्त आदेश द्वारा यह अदालत न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि करती है कि जब स्वतंत्र डीलरों को बिक्री का विस्तार एक हाथ से होता है। जब करदाता द्वारा श्रम एएसएस के लिए करदाता द्वारा व्यवस्थित अतिरिक्त सेवा केन्द्र को भुगतान तत्पश्चात कर दाता द्वारा डीलर से ऐसे खर्च की वसूली अतिरिक्त प्रतिफल के प्रवाह का मामला नहीं है और नहीं ऐसी व्यवस्था ऐसे डीलरों को करदाता का अभिकर्ता बनाती है।

8. उपरोक्त से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि जहां निर्माता स्वयं एएसएस और उस पर कोई खर्च करता है वह उसके द्वारा अपने खरीददार से ली गई कीमत से कटौती योग्य नहीं है इसी तरह जहां निर्माता ने अपना माल अपने डीलर को बेच दिया है और थोक डीलर उसके बाद ग्राहक को एएसएस करता है और व्यय करता है तो इसे मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना हेतु डीलर से निर्माता द्वारा वसूले गये बिक्री मूल्य में वापस नहीं जोड़ा जा सकता है ऐसा तब और होता है जब एएसएस डीलर द्वारा निर्माता द्वारा उसे माल बेचे जाने के कुछ सप्ताह बाद किया जाता है डीलर द्वारा की गई बिक्री के बाद की ऐसी गतिविधि उत्पाद शुल्क

के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं है क्योंकि माल पहले ही डीलर को बेचा जा चुका है।

9. उपरोक्त निर्णयों का इस न्यायालय द्वारा भारतसंघ बनाम बोम्बे टायर इंटरनेशनल ((1984) 1 एससीसी 467) और भारत सरकार और अन्य बनाम एम आर एफ लिमिटेड ((1995) 4 एससीसी 349) और अन्य के मामले में पालन किया गया था उपरोक्त निर्णय का महिन्द्रा एंड महिन्द्रा बनाम सेन्ट्रल एक्साईज कलेक्टर 1995 (103) ईएलटी 606 के मामले में न्यायाधिकरण द्वारा पालन किया गया था। जिसमें न्यायाधिकरण इस मुद्दे पर विचार कर रहा था कि क्या डीलरों द्वारा प्रदान किये गये एएसएस को लागत और डीलरों द्वारा किये गये विज्ञापन खर्चों को महिन्द्रा एंड महिन्द्रा द्वारा निर्मित और समाशोधन किए गये वाहनों के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। मारुति उद्योग द्वारा किए गये समझौते की शर्तों के तहत डीलरों द्वारा किए गए पीडीआई को वाहनो के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं प्रासंगिक मुद्दा है न्यायाधिकरण ने विभाग के तर्क को खारिज कर दिया और उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा 1999 (111) ईएलटी ए126 के रूप में दर्ज किए गये निर्णय में यथावत रखा गया।

10. इस प्रकार अंशोधित प्रावधान के सम्बन्ध में स्थिति बहुत स्पष्ट है वर्ष 2000 में अधिनियम की धारा 4 में संशोधन की बातें करें तो

सबसे पहले यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 4(3)(डी) के अनुसार लेनदेन मूल्य की परिभाषा संपूर्ण है और इसके दायरे में आती है माल की कीमत और बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में करदाता द्वारा ली गई विभिन्न अन्य राशियों के प्रावधान इस प्रकार है:

"(डी) कि अन्य मामले में यदि कोई वास्तव में भुगतान किया गया है या ऐसे माल पर वास्तव में देय होता है लेकिन इसमें "लेनदेन मूल्य" का अर्थ जब माल को बेचा जाता है तब वास्तव में उसके लिए भुगतान की गई कीमत या देय कीमत है और इसमें कीमत के रूप में ली गई राशि के अलावा वह कोई भी राशि शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है इसमें विज्ञापन या प्रचार, विपणन और बिक्री संगठन के खर्च, भण्डारण, बाहरी हैंडलिंग के लिए वसूल की गई, सेवा, वॉरंटी, कमीशन या किसी अन्य मामले के लिए या प्रावधान करने के लिए ली गई राशि या जिसे खरीददार करदाता की ओर से या उसके सम्बन्ध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है या कोई अन्य मामला यदि कोई है को वास्तव में भुगतान किया गया है या ऐसे माल पर वास्तव में देय होता है लेकिन ऐसी वस्तुओं पर वास्तव में

भुगतान की गई या वास्तव में देय उत्पाद शुल्क बिक्री कर और अन्य करों की राशि यदि कोई है वह शामिल नहीं है।"

11. यह अभिव्यक्ति कोई भी राशि जो खरीददार भुगतान के लिए उत्तरदायी है महत्वपूर्ण है। यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि सामान की कीमत के अलावा खरीददार को निर्माता/विक्रेता को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होना चाहिए। दूसरे शब्दों में खरीददार को सामान की बिक्री तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि खरीददार माल की कीमत के अलावा निर्माता को अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करता है यह कारण से या माल की बिक्री के संबंध में अभिव्यक्ति के उपयोग से समर्थित होती है। माल की बिक्री के सम्बन्ध में अभिव्यक्ति का अर्थ केवल इतना होता है कि अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए माल की बिक्री नहीं होगी। जब हम उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हैं तो हमें न्यायाधिकरण द्वारा करदाता को लाभ पहुंचाने वाले दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं मिलती है दोनों पक्ष इस स्थिति को स्वीकार करने में एकमत थे कि 01.07.2000 से प्रभाव में आए असंशोधित प्रावधान में मूल्यांकन योग्य मूल्य से अलग लेनदेन मूल्य पर जोर देने के साथ मूल्यांकन सिद्धान्तों के सार में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया था इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय केन्द्रीय (उत्पाद शुल्क मूल्यांकन उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण) नियम 2000 के साथ अधिनियम

की धारा 4 के प्रावधानों के तहत लेनदेन मूल्य का निर्धारण करने के लिए अभी भी लागू होंगे। वास्तव में मूल आदेश टी.वी.एस मोटर्स कम्पनी या अन्य मामले में उसी आधार पर आगे बढ़ते हैं।”

12. विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राधाकृष्णन ने बोर्ड के दिनांक 19.11.1997 के परिपत्र का हवाला देकर न्यायाधिकरण के फैसले पर प्रहार किया और प्रस्तुत किया कि उक्त परिपत्र बोर्ड द्वारा बॉम्बे टायर इंटरनेशनल के मामले में मूल्यांकन योग्य मूल्य में ए एस एस व्यय का समावेश होने के विवाद का विधि द्वारा निस्तारण किये जाने के पश्चात जारी किया गया था परिपत्र इस स्थिति को स्वीकार करता है कि यद्यपि वर्ष 1984 में दिए गए पूर्वोक्त निर्णय से कानून पहले ही बाधित हो चुका है लेकिन मोटरवाहन के मूल्यांकन योग्य मूल्य में डीलरों द्वारा वाहन के पीडीआई के खर्चों और इसके मूल्य में डीलरों द्वारा वाहन के पीडीआई के खर्चों और इसके प्रारम्भिक सेवाओं को शामिल करने के संबंध में एक संदेह उठाया गया है। चूंकि ये सेवाएं डीलर द्वारा वहन की जाती हैं और इन सेवाओं के लिए निर्माता द्वारा डीलर को कोई अलग शुल्क नहीं दिया जाता है और यह डीलर ही है जो निर्माता द्वारा अनुमत लाभ से खर्च वहन कर रहा है संदेह इस बात को लेकर था कि क्या डीलर के लाभ का हिस्सा मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार परिपत्र स्पष्ट करता है कि बॉम्बे टायर इंटरनेशनल के मामले में बिक्री व्यय

का हिस्सा होने के नाते एएसएस को मूल्यांकन योग्य मूल्य में अनुपात के अनुसार शामिल करना होगा। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस न्यायालय के निर्णय के पश्चात फिलिप्स इण्डिया मामले में कोई असर नहीं हुआ था। परिपत्र के अनुसार उक्त निर्णय ऑडियों उपकरणों की बिक्री के एक मामले से संबंधित है और निर्माता के उत्पाद से जुड़ी हुई गारंटी के तहत तथ्य जिसमें इन्हें देश में कहीं भी उनके डीलर द्वारा गारंटी अवधि के दौरान मरम्मत किए जाने की सेवाएं प्रदान की जाती हैं इसमें अन्तर किया गया था विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उपरोक्त परिपत्र स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट करता है और वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति बॉम्बे टायर इंटरनेशनल के निर्णय में शामिल की जाएगी।

13. हमें बताया गया कि उपरोक्त परिपत्र को बोर्ड द्वारा दिनांक 12.12.2002 के एक परिपत्र के माध्यम से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वापस ले लिया गया था कि सीईएसटीएटी ने महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड (सर्वोच्च न्यायालय) मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड और मैसर्स एस्कार्टस टैक्टर्स लिमिटेड के मामले में अन्यथा निर्णय लिया गया था सीईएसटीएटी के उपरोक्त निर्णयों के खिलाफ विभाग की अपील को न्यायालय ने दिनांक 27.01.2000 के विस्तृत आदेश के द्वारा खारिज कर दिया था। जिसे 2000 (120) ईएलटी 290 सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रतिवेदित किया गया था। यह परिपत्र क्रमांक 355/71/97-सी.एक्स

दिनांक 19.11.1997 और उसके बाद परिपत्र क्रमांक 435/1/1999 सी.एक्स दिनांक 12.01.1999 को वापस लेते समय वारंटी अवधि के दौरान वाहन के डीलर द्वारा प्रदान किया गया पीडीआई और मुफ्त एसएस मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। हांलाकि, श्री राधाकृष्णन ने उपरोक्त परिपत्र को यह कहकर दूर करने का प्रयास किया कि उपरोक्त मामलों में अपील इस न्यायालय द्वारा 27.01.2000 को बिना कोई कारण बताए एक पंक्ति के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान मामलों में शामिल मुद्दा बॉम्बे टायर इंटरनेशनल में प्रचलित तथ्यात्मक स्थिति से अधिक निकट है और इसलिए इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

14. हम यहां यह बताना चाहेंगे कि उपरोक्त परिपत्र 2000 से पहले प्रचलित वैधानिक प्रावधान के संबंध में था बोर्ड द्वारा वर्ष 2000 में वैधानिक संशोधन किया गया था और 01.07.2000 से नई मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावी की गई थी। परिपत्र में कई स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। हम उस परिपत्र के बिन्दु संख्या 7 और उसके स्पष्टीकरण में निहित संदेह से चिंतित हैं जो निम्नानुसार पढा जा रहा है।

7 वारंटी अवधि के दौरान डीलर द्वारा किए गए बिक्री के बाद सेवा शुल्क और प्री डिलीवरी निरीक्षण (पीडीआई) शुल्क की लागत के बारे में क्या चूंकि ये सेवाएं करदाता की ओर से डीलर द्वारा निशुल्क प्रदान की जाती हैं

इसकी लागत डीलर के लाभ में शामिल होती है (या उसे प्रतिभुत की जाती है) यह माल मोटर वाहन, उपभोक्ता वस्तुएं आदि। डीलरों के प्रतिफलों में से एक है इसलिए विज्ञापन और प्रचार शुल्क के सम्बन्ध में बताए गए समान आधार पर मूल्यांकन नियमों के नियम 6 द्वारा शासित किया जाएगा यानि ऐसे मामलों में बिक्री के बाद सेवा शुल्क और पीडीआई शुल्क मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किए जाएंगे।

15. यदि उपरोक्त स्पष्टीकरण पर कार्यवाही की जाती है तो यह विभाग के पक्ष में जा सकता है हालांकि यह बताना उचित होगा कि बोर्ड द्वारा दिए गए इस स्पष्टीकरण को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और टाटा मोटर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में भी बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में भी चुनौती दी गई थी निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणी करके इसे रद्द कर दिया गया।

41 अवलोकन में इस न्यायालय के विचारार्थ एकमात्र प्रश्न यह था कि उक्त 1 जुलाई 2002 के परिपत्र का खण्ड 7 वित्त अधिनियम 2000 की धारा 94 के संशोधन के द्वारा अधिनियम की धारा 4 (1) ए और 4 (3) डी के प्रावधानों से अधिक है हमारे विचार में प्रश्न का उत्तर याचिकाकर्ता और उत्तरदाता के बीच मुद्दों का फैसला करेगा हमारे विचार में मारुती सुजुकी (सर्वोच्च न्यायालय) के मामलों में वृहद पीठ

द्वारा दिये गये फैसले की शुद्धता पर हमारे विचार दर्ज करना आवश्यक नहीं है इसी प्रकार हमारे विचार में 5 दिसम्बर 2011 के मूल आदेश पर कोई विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है।

42 हमने धारा 4 (1) ए के प्रावधानों के साथ साथ धारा 4 के प्रावधानों पर भी विचार किया है क्योंकि वे 1 जुलाई 2000 से लागू होने वाले संशोधन से पहले मौजूद थे। हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीधरन द्वारा दिए गये निवेदन से सहमत हैं उनके द्वारा कहा गया कि संशोधित धारा 4 के प्रावधान 1 जुलाई 2000 से पहले प्रचलित धारा 4 के प्रावधानों से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है संशोधन द्वारा लेनदेन मूल्य नाम से एक नया शब्द पेश किया गया है उक्त नामित लेनदेन मूल्य को उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) डी में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है वर्तमान धारा 4 (1) ए लेनदेन मूल्य की परिभाषा अधिक स्पष्टता देती है और मूल्यांकन योग्य मूल्य कैसे निकाला जाए इस बारे में सभी संदेह दूर हो जाते हैं । यह भी इंगित किया गया कि उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के मूल्य के हिस्से के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) डी में परिभाषित वास्तव में

लेनदेन मूल्य में विभिन्न वस्तुओं के व्यय/कटौती का शामिल होना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड में विशेष रूप से अस्वीकृत किया गया यह 1983 (14) ईएलटी 1986 (एसमी) में प्रतिवेदित किया गया है यदि कोई लेनदेन मूल्य शब्द की परिभाषा को बारिकी से देखता है तो यह सर्विसिंग शब्दावली का उपभोग करता है ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाता खण्ड 7 परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2002 और 12 दिसंबर 2002 का सहारा लेकर मूल्यांकन योग्य मूल्य में पीडीआई के लिए डीलरों द्वारा किए गये खर्च और मुफ्त उक्त सेवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से इस शब्द सर्विसिंग का लाभ ले रहे हैं।

43 प्रश्न में बिन्दु की ओर मुड़ते हुए यह देखा गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) डी में लेनदेन मूल्य की परिभाषा व्यापक है और माल की कीमत और बिक्री या बिक्री के संबंध में करदाता द्वारा कारण पूर्वक ली गई अन्य रकम को इसमें शामिल किया गया है उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) डी को बारिकी से पढ़ने से संकेत मिलता है कि लेनदेन मूल्य में खरीददार द्वारा वास्तव में भुगतान की गयी देय कीमत शामिल होती है और खरीददार द्वारा करदाता की

ओर से बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में चाहे उस समय या किसी अन्य समय पर देय हो जिसमें विज्ञापन आदि जैसी कुछ वस्तुओं के लिए प्रावधान करने के लिए ली गयी अतिरिक्त राशि भी शामिल होती है। ऐसी ही एक वस्तु सर्विसिंग है। लेनदेन मूल्य शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए इस अदालत के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस मामले के तथ्यों पर लेनदेन मूल्य शब्द की परिभाषा को लागू करें और इस मामले का निर्णय करें। याचिकाकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि डीलर के अनुबंध में उल्लेखित नियमों और शर्तों पर डीलर को कार बेचने के बाद डीलर को कार के संबंध में फ्री डिलीवरी निरीक्षण के साथ साथ उक्त सेवाएं भी देनी होती है जैसे एक ग्राहक को बेची गई हो। अभिलेख से यह पता चलता है कि डीलर को याचिकाकर्ता को कार की कीमत के लिए एक राशि का भुगतान करना पड़ता है और डीलर याचिकाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है याचिकाकर्ता द्वारा तय की गई कीमत और डीलर द्वारा भुगतान की गई कीमत के बीच का अन्तर डीलर का लाभ कहलाता है। एक डीलर को संचालित करने के लिए पीडीआई के साथ साथ उक्त सेवा प्रदान करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। हम

याचिकाकर्ता के इस रूख को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है कि डीलर को डीलरशिप समझौते के अनुसार डीलर की जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में पीडीआई के साथ साथ उक्त सेवाओं को भी पूरा करना आवश्यक होता है याचिकाकर्ता का यह तर्क कि याचिकाकर्ता डीलर द्वारा पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किए गये खर्चों के लिए डीलर से शुल्क नहीं लेते है को स्वीकार किया जाना आवश्यक है अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के मामलों में जहां तक डीलर द्वारा पीडीआई उक्त सेवाओं के लिए खर्च की गयी राशि का संबंध है इसमें कोई भी खण्ड शामिल नहीं है (ए) किसी भी राशि को वसूला गया (बी) प्रावधान करने के लिए वसूली गई राशि (सी) किसी भी राशि के लिए जो खरीददार करदाता की ओर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। अभिलेख दर्शाता है कि एक बार याचिकाकर्ताओ द्वारा डीलर को एक कीमत पर कार बेची गई तो डीलर को याचिकाकर्ताओ को पीडीआई और बिक्री के बाद सेवाओं/बिक्री के बाद मुफ्त सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता किसी डीलर को कार बेच रहे हैं तो कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है और याचिकाकर्ता और डीलर

एक दूसरे से संबंधित नहीं है उक्त अधिनियम की धारा 4(1) ए में निर्धारित इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद कारों के इस मूल्यांकन मूल्य को लेनदेन मूल्य के रूप में माना जाएगा। लेनदेन का मूल्य उक्त अधिनियम की धारा 4 (3) डी में दिया गया शब्द लेनदेन मूल्य की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निकालना होगा। अभिलेख बारिकी से दिखाता है डीलर द्वारा याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई कीमत के अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा डीलर या ग्राहक से कोई राशि वसूल नहीं की जाती है ऐसे में उत्तरदाताओं का यह रूख की पीडीआई के लिए किए गये खर्च साथ ही उक्त सेवाओं के खर्च को मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए को स्वीकार नहीं किया जा सकता है यह इस आधार पर देखा जा रहा है कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री यहां नहीं है कि डिलवरी से पहले निरीक्षण के साथ साथ बिक्री के बाद की सेवाओं के खर्च का भुगतान डीलर द्वारा याचिकाकर्ताओं को किया जाता हो। डीलर एक डीलर के रूप में पीडीआई और उक्त सेवाओं को एक नियमित और वैध गतिविधि के रूप में प्रदान करता है अभिलेख से और याचिकाकर्ताओं द्वारा डीलर के साथ किए गये विशिष्ट डीलरशिप समझौते के आधार पर यह भी स्पष्ट है कि एक

डीलर डीलरशिप के कारण पीडीआई के साथ साथ उक्त सेवाएं भी प्रदान करता है। यह ध्यान रखना उचित है कि उत्तरदाताओं ने 29 जून 2012 को दिए गये हल्फनामों में स्वीकार किया गया है कि डीलर अपने स्तर पर मुफ्त पीडीआई और बिक्री के बाद की सेवाएं प्रदान करता है यह स्वीकार किया गया है कि पीडीआई के लिए श्रमलागत का भुगतान किया जाता है और यह कहा गया है कि उक्त सेवा खुदरा बिक्री लाभ से वहन की जाती है उत्तरदाताओं का यह तर्क कि पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किए गये खर्च को लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए और कार के मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल किया जाना आवश्यक है उसे इस आधार पर खारिज किया जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता डीलर से पीडीआई और बिक्री के बाद की निशुल्क सेवाओं पर खर्च की गयी लागत के बराबर कोई भी राशि का शुल्क नहीं लेते थे।

44 उत्तरदाताओं का तर्क है कि याचिकाकर्ता उस कार के संबंध में वारंटी प्रदान करते हैं जो डीलर द्वारा ग्राहक को बेची जाती है उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राहक इस वारंटी का लाभ उठा सकता है बशर्त कार के संबंध में पीडीआई किया

जाये और ग्राहक उक्त सेवाओं का लाभ उठाये। उत्तरदाताओं के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गयी वारन्टी पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किये गये खर्चों से जुडी हुई है और इस तरह पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किये गये खर्च लेनदेन मूल्य का हिस्सा बन जाते हैं हम इस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं यह सच है कि स्वामी की नियमावली विशेष रूप से इंगित करती है कि यदि पीडीआई और उक्त सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता है तो ग्राहक वारंटी के लाभ का दावा नहीं कर पायेगा इसमें यह पता चलेगा कि जहां तक वारन्टी पहलू का संबंध है याचिकाकर्ता जिम्मेदारीयां उठाते हैं बशर्त ग्राहक पीडीआई और उक्त सेवाओ का लाभ उठाये इसका मूल्यांकन योग्य मूल्य पर कोई असर नहीं पडता है क्योंकि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पीडीआई निष्पादित करने के साथ उक्त सेवाएं प्रदान करना डीलरशिप समझौते के कारण डीलर के दायित्व पर है न कि किसी अन्य कारण से है। एक बार जब यह माना जाता है कि पीडीआई और उक्त सेवाएं याचिकाकर्ताओ की ओर से डीलर द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो इसे बिक्री के लिए प्रतिफल नहीं माना जा सकता है इसे स्थगित प्रतिफल के रूप में भी नहीं माना जा सकता है उत्तरदाताओं ने 1

जुलाई 2002 को परिपत्र जारी करते समय उक्त नियमों के नियम 6 को गलत तरीके से संदर्भित किया है और पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किए गये खर्चों को विज्ञापन या प्रचार के खर्चों के साथ गलत तरीके से जोड़ा है यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि उक्त नियमों के प्रावधान इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि याचिकाकर्ताओ और डीलरों के बीच लेनदेन की कार्यवाही करना उक्त धारा 4 (1) बी के दायरे में नहीं आती है याचिकाकर्ताओ और डीलरों के बीच कार की बिक्री का लेनदेन उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) ए के प्रावधानों द्वारा शासित होता है क्योंकि करदाता के रूप में याचिकाकर्ताओ और कार के खरीददार के रूप में डीलर एक दूसरे से संबंधित नहीं है और बिक्री के लिए कीमत ही एकमात्र विचारणीय है हमारे विचार में 1 जुलाई 2002 के परिपत्र के खण्ड 7 में मूल्यांकन नियमों के नियम 6 का संदर्भ पूरी तरह से गलत है विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीधरन द्वारा 1977 में प्रविवेदित मामला श्री ए.के. रॉय बनाम वोल्टास लिमिटेड 1977 (1) ईएलटी (जे-177) सर्वोच्च न्यायालय का उपयुक्त संदर्भ दिया गया। हमने उक्त निर्णय का अध्ययन किया है और निर्णय को वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू

करते हुए उत्तरदाता उस राशि पर उत्पाद शुल्क की मांग करने से सक्षम होंगे जो याचिकाकर्ता द्वारा डीलरों से ली गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिलेख के अनुसार एक बार जब याचिकाकर्ताओं द्वारा डीलर को एक विशेष प्रतिफल के लिए कार बेची जाती है तो डीलर द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किए गए खर्चों के लिए डीलर को किसी भी राशि की क्षतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं और याचिकाकर्ता डीलर को कार बेचने वाली पूरी राशि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे हैं वर्तमान मामले में भले ही यह मान लिया जाए कि याचिकाकर्ता डीलर को व्यापार छूट दे रहे हैं याचिकाकर्ता पूरी राशि पर उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहे हैं न कि उस राशि पर जो व्यापार छूट देने के बाद आती है विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीधरन ने एटिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एच.एच.दवे असिस्टेन्ट कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइज और अन्य का मामला जो 1978 (2) ई.एल.टी (जे 444) सर्वोच्च न्यायालय के रूप में प्रतिवेदित किया गया के फैसले के संदर्भ में तर्क दिया कि जो कीमत इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है उत्पाद शुल्क वह कीमत थी

जब व्यापार की धारा में पहली बार प्रवेश करने वाली वस्तु को स्वीकार करना आवश्यक होता है वर्तमान मामले में जब याचिकाकर्ता डीलर को कार बेचते हैं तो माल पहली बार व्यापार की धारा में प्रवेश करता है और इसलिए जिस राशि पर कार डीलर को बेची जाती है वह आंकलन योग्य मूल्य होगी जिस पर उत्पाद शुल्क देय होगा। वर्तमान मामले में पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए डीलर द्वारा किए गए खर्चों का लेनदेन मूल्य में उल्लेखित सर्विसिंग शब्द से कोई लेना देना नहीं है और इस प्रकार उक्त खर्चों को मूल्यांकन योग्य मूल्य में नहीं जोड़ा जा सकता है।

45. 01 जुलाई 2000 के परिपत्र के खण्ड 7 पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान अस्तित्व में लाया गया है जिसका अर्थ है कि उत्तरदाताओं ने कारों के सभी निर्माताओं को एक मंच पर ला दिया है और काल्पनिक रूप से मूल्यांकन योग्य मूल्य में पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किए गए खर्चों को जोड़ने का निर्णय लिया है यह उल्लेख करना होगा कि उन सभी मामलों में जहां पीडीआई और उक्त सेवाओं के लिए किए गये खर्च पूरी तरह से डीलर द्वारा वहन किये जाते हैं

और याचिकाकर्ताओं जैसे निर्माता का उक्त खर्चों से कोई लेना देना नहीं है तो उन खर्चों को मूल्यांकन योग्य मूल्य में जोड़ना उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) ए सपठित धारा 4 (3) डी के प्रावधानों के विपरीत होगा। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरदाता अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री पेश करने में सक्षम नहीं है जो यह दर्शाती हो कि पीडीआई उक्त सेवाओं के लिए खर्च की गयी राशि लेनदेन मूल्य की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती है।”

हम उच्च न्यायालय द्वारा बताई गयी कानूनी स्थिति से सहमत हैं ।

16. हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह मामले 2000 के बाद की अवधि के हैं यह भी ध्यान में रखना होगा कि स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाया गया था कि डीलर द्वारा मुफ्त सेवाएं करदाता की ओर से वारंटी अवधि के दौरान प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त दो विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दिए गये स्पष्टीकरण से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इन मामलों में हम पाते हैं कि डीलरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उनकी ओर से हैं न कि करदाता की ओर से। तथ्यों से पता चला कि करदाता द्वारा मुफ्त सेवा से संबंधित डीलरों को जो राशि प्रतिपूर्ति की गयी थी उसे सामान्य लेनदेन मूल्य के संबंध में कमी के

रूप में दावा किया जा रहा था। यह इन करदाताओं के तर्कों में से एक था कि लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में मुफ्त सेवाशुल्क को बाहर रखा जाना चाहिए।

17. दूसरी ओर हम दिनांक 12.05.2000 के परिपत्र का उल्लेख करना चाहेंगे। जो धारा 4 में संशोधन के साथ समसामयिक रूप से जारी किया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि करदाता निर्माता द्वारा खरीददार से राशि वसूल की जानी चाहिए और इस संबंध में निम्नलिखित पठन किया जा रहा है।

2.2 इसे अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लेनदेन मूल्य की परिभाषा को भी संशोधित किया गया है खरीददार द्वारा स्वयं या उसकी ओर से करदाता को बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में भुगतान की गयी कोई भी राशि लेनदेन मूल्य का हिस्सा होगी।

विज्ञापन या प्रचार विपणन और बिक्री संगठन के खर्च, भण्डारण और बाहरी हैंडलिंग आदि जैसे कारको के कारण खरीददार से ली गयी या वसूल की गयी कोई भी राशि भी लेनदेन मूल्य का हिस्सा होगी। वास्तव में परिभाषा में उल्लेखित लेनदेन मूल्य में विज्ञापन या प्रचार आदि द्वारा विशिष्ट गतिविधियों के कारण वसूल किये जाने वाले

अधिकांश शुल्क मौजूदा धारा के तहत मूल्य की गणना में शामिल किये जाने योग्य हैं।

4 वर्तमान धारा 4 के तहत लेनदेन मूल्य की परिभाषा मूल्य की व्याख्या से सामग्री और दायरे में भिन्न रूप से व्यापक प्रतीत नहीं होती है लेनदेन मूल्य की परिभाषा से करदाता द्वारा किये गये विशिष्ट प्रकार के संचालन के संबंध में खरीददार से ली गयी या वसूल की गयी राशि के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने में मदद मिलेगी। संक्षेप में बिक्री के कारण या उसके संबंध में खरीददार से जो कुछ भी वसूल किया जाता है चाहे वह बिक्री के समय या किसी अन्य समय देय हो , लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाता है ।

...अवधारण किया गया”

18. इस स्थिति को बोर्ड ने अपने परिपत्र एफ संख्या. 354/81/2000 टी आर यू दिनांक 30.06.2000 में दोहराया है जो धारा के खण्ड दर खण्ड का स्पष्टीकरण देता है उसी से प्रासंगिक उद्धरण यहां निम्नानुसार पुन प्रस्तुत किया गया है।

”6.यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां कर दाता अपने माल के लिए कीमत के रूप में एक राशि लेता है तो

माल के लिए चार्ज की गयी और भुगतान की गयी या देय राशि निर्धारण योग्य मूल्य होगी। हालांकि यदि खरीददार से कीमत के रूप में ली गयी राशि के अलावा, करदाता बिक्री के कारण या बिक्री के संबंध में कोई भी अन्य राशि भी वसूल करता है।

7. तो ऐसी राशि भी मूल्यांकन और मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए लेनदेन मूल्य के हिस्से में ली जाएगी। इस प्रकार यदि करदाता अपने मूल्य निर्धारण प्रणाली को विभाजित करता है और माल के लिए कीमत वसूलता है और पैकेजिंग के लिए अलग से शुल्क लेता है तो पैकेजिंग शुल्क भी मूल्यांकन योग्य मूल्य के हिस्से से होगा क्योंकि यह खरीददार से वसूल किए गए माल के उत्पादन और बिक्री के संबंध में एक शुल्क है लेनदेन मूल्य की परिभाषा से यह देखा जा सकता है कि कोई भी राशि जो माल की बिक्री के तथ्य के आधार पर खरीददार द्वारा करदाता को या उसकी ओर से भुगतान की जाती है ऐसी राशि को लेनदेन मूल्य का हिस्सा नहीं होने का दावा नहीं किया जा सकता है दूसरे शब्दों में उदाहरण के लिए यदि कोई करदाता माल की बिक्री के समय या उसके बाद भी अपने खरीददारों से विज्ञापन

शुल्क या प्रचार शुल्क वसूल करता है तो करदाता यह दावा नहीं कर सकता है कि ऐसे शुल्क लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं है कानून ऐसे भुगतान को लेनदेन मूल्य का हिस्सा मानता है जो उस विशेष लेनदेन के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य है।”

19. उपरोक्त चर्चा के अनुक्रम में यह मानना होगा कि पीडीआई शुल्क और मुफ्त एसएस शुल्क उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत मूल्यांकन योग्य मूल्य में शामिल नहीं किये जायेंगे। इस संबंध में न्यायाधिकरण द्वारा करदाताओं के पक्ष में लिया गया कानूनी दृष्टिकोण सही है और विभाग की सभी अपीले अर्थात् सी.ए. सख्या 5155-5156/2007, 1763-1764/2009, 2204/2013, 2205/2013, 957-959/2014, 7854-7865/2014 और 7444/2008 को खारिज किया जाता है दूसरी ओर मारुती सुजुकी मामले में वृहत पीठ का दृष्टिकोण कानून को सही ढंग से निर्धारित नहीं करता है और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है और करदाता द्वारा दायर की गयी अपीले 7007/2011, 7550/2011 और 3768-3769/2011 को स्वीकार किया जाता है।

अपीले निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अधिवक्ता शिव बहादुर सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।